कार्यवाही	
09-11-20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी द्वारा मूल वाद में मुताबिक नक्शे-कुरेजात दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। वादी का वाद-पत्र मुताबिक नक्शे-कुरेजात डिक्री किया गया, अतः प्रा० पत्र 212 R.T. Act का अब कोई औचित्य नहीं होने से प्रा० पत्र 212 R.T. Act खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2021.07.27 15:54:56 IST
Reason: SelfAttested